न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 115/2022

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री पवन पैगोरिया पुत्र श्री कन्हैयालाल, मैसर्स सिद्धि विनायक एजेन्सीज, मीरा कॉलोनी, रामगंज, अजमेर।
2. मैसर्स सिद्धि विनायक एजेन्सीज, मीरा कॉलोनी, रामगंज, अजमेर।
3. मैसर्स करतार सन्स, 453/23, लाल कोठी, केसरगंज, अजमेर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

–: आदेश :–

दिनांक– 31.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप) आईस कैण्डी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.06.2022 को 02:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सिद्धि विनायक एजेन्सीज, मीरा कॉलोनी, रामगंज अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री पवन पैगोरिया मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय आईस कैण्डी आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त आईस कैण्डी में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 24 नग आईस कैण्डी क्रीमबैल ब्राण्ड (24 X 50 मिली) 240/– रूपयें श्री पवन

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पैगोरिया को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री पवन पैगोरिया को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा आईस कैण्डी को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 300 मिली) में भरकर, प्रत्येक नमूना बोतल में 36–36 बूंद फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–3226 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्रू प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/6239 दिनांक 17.06.2022 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/777/एक्ट/2022/637 दिनांक 07.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय की गयी आईस कैण्डी (क्रीम बैल ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 15.12.2022 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना, कई अववर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे तथा लिखित प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद अवलोकन किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूकि प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट Vए में उत्पाद के निर्माता एवं बैच नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन किया है, अतः यह प्रार्थी के संज्ञान में है कि उक्त उत्पाद मैसर्स देवयानी फूड इण्डस्ट्रीज लि., जे एल नम्बर 074, मौजा धर्मा, पी एस सालनपुर, जिला वेस्ट बर्द्धमान, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) 713357 द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी या उनके किसी अधिकृत नॉमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खुदरा विक्रेता (रिटेलर) है तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाये गये खाद्य अनुज्ञा पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 थोक विक्रेता/वितरक/खुदरा विक्रेता के रूप में व्यवसाय कर रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद आईसकैण्डी (क्रीम बैल ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग या लेबलिंग नहीं की गयी है तथा उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद आईसकैण्डी (क्रीम बैल ब्राण्ड) में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जाना एक गम्भीर विधिक त्रुटि

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

है। विचाराधीन परिवाद में अप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(ख)(2)(घ)(I) के प्रावधान भी प्रभावी नहीं हो रहे है।

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद आईसकैण्डी (क्रीम बैल ब्राण्ड) की विनिर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त परिवाद विधिक दृष्टि से दोषयुक्त होने के कारण पुनः लौटाया जाकर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि परिवाद का पूर्णतया परीक्षण कर, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों/कम्पनियों को पक्षकार बनाया जाकर पुनः परिवाद प्रस्तुत करे।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री पवन पैगोरिया पुत्र श्री कन्हैयालाल, मैसर्स सिद्धि विनायक एजेन्सीज, मीरा कॉलोनी, रामगंज, अजमेर।
5. मैसर्स सिद्धि विनायक एजेन्सीज, मीरा कॉलोनी, रामगंज, अजमेर।
6. मैसर्स करतार सन्स, 453/23, लाल कोठी, केसरगंज, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर